डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीज
एम. पी. 108/भोपाल/200

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2001—आश्विन 30, शक 1923

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 16-4-91-दस-2 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 200

संकल्प

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित संकल्प.

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह उल्लेख किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाए. तदनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 1990 को सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किये कि वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पादों पर प्रथम अधिकार माना जाएगा. इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त वन प्रबंध की प्रणाली के अंतर्गत वनों के प्रबंध में स्थानीय जनता का सहयोग लिया जा रहा है.

(2) इस सिद्धांत के अनुरूप 10 दिसंबर, 1991 को राज्य सरकार ने वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया. संकल्प में इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी बताई गई. इसे व्यापक आधार देते हुए सभी वन क्षेत्रों में जन-भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिनांक 4-1-95 को पुनरीक्षित संकल्प जारी किया जिसे अधिक्रमित करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ-16/4/91/दस-2, दिनांक 7 फरवरी, 2000 से संशोधित संकल्प पारित किया गया था, जिसमें सघन वनक्षेत्रों के लिए वन सुरक्षा समितियां, बिगड़े वन क्षेत्रों के लिये ग्राम वन समितियां तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों तथा इनकी सीमाओं के बाहर 5 कि. मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में ईको विकास समितियां गठित कर वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं सम्वर्धन सुनिश्चित किया गया. दिनांक 7 फरवरी, 2000 को जारी संकल्प में

कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां दृष्टिगोचर हुई हैं. इस परिप्रेक्ष्य में समसंख्यक संकल्प दिनांक 7 फरवरी, 2000 को संशोधित करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार संकल्प पारित करता है :—

(3) प्रदेश में प्रचलित वन प्रबंधन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के वन क्षेत्रों को तीन हिस्सों (ज़ोन) में विभक्त किया गया है :—

प्रथम ज़ोन: राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में सम्मिलित वन क्षेत्र. ये क्षेत्र जैव-विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

द्वितीय ज़ोन: अन्य सघन वनक्षेत्र, जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं.

तृतीय ज़ोन: ऐसे वन क्षेत्र जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण/पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है.

(4) **समितियाँ :**

4.1 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, बहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु ईको विकास समितियां गठित की जाएंगी. जो संयुक्त वन प्रबंध समितियां इन क्षेत्रों में पहले से गठित हैं, उन्हें भी ईको विकास समितिं कहा जाएगा.

4.2 अनुच्छेद 4.1 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पाँच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा.

4.3 अनुच्छेद 4.1 तथा 4.2 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा.

(5) **समितियों के गठन की प्रक्रिया :**

5.1 प्रदेश के ग्रामों में वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा ग्राम की जनता को संयुक्त वन प्रबंध से परिचित कराने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी तथा इसके पश्चात् ग्रामवासी यदि स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबंध से जुड़ना चाहें तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ग्रामसभा की विधिवत् बैठक मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम, 1993 की धारा-6 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार आयोजित कर वन समिति का गठन किया जायेगा, जिसका कार्यकाल रजिस्ट्रेशन दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा. जिस प्रकार के जोन में ग्राम स्थित है, उस ज़ोन के लिये निर्धारित समिति का गठन किया जायेगा. यदि ग्राम के साथ सघन एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र हैं, तो जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य होगा, उसी अनुसार वन सुरक्षा समिति अथवा ग्राम वन समिति गठित की जायेगी. पूर्व से कार्यरत समितियों एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् समितियों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा.

स्पष्टीकरण :

उदाहरण के लिए समिति 'क' का गठन 1-7-94 को हुआ था, तो आज की स्थिति में चूंकि 5 वर्ष

से अधिक समय हो चुका है, अतः ग्रामसभा द्वारा समिति के गठन का अनुमोदन किया जायेगा. साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन की कार्यवाही तत्काल की जावेगी.

यदि समिति व कार्यकारिणी 'ख' का गठन दिनांक 1-10-99 को हुआ है तो ग्राम सभा द्वारा समिति के गठन का अनुमोदन किया जाएगा, व वर्तमान कार्यकारिणी 30-9-2004 तक कार्यरत रह सकती है.

5.2 समिति के गठन के उद्देश्य से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(ख) के अनुसार ऐसे आवास या आवास समूह अथवा छोटे गांव या उनके समूह जिसमें ऐसे समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करते हों, को ग्राम माना जाएगा, चाहे वह ग्राम अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की अनुसूची) में स्थित हो अथवा उसके बाहर. ग्राम सभा द्वारा समिति का गठन होने के उपरांत एक माह के अंदर संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी)/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कंडिका-4 के अनुसार समिति को पंजीकृत किया जाएगा. वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण इस समिति की आम सभा के सदस्य होंगे. समिति की प्रथम बैठक, जो कि मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार आयोजित की जायेगी, में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा जिनका कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा.

5.3 गठित समितयों के अध्यक्षों का वन मंडल स्तर पर संघ बनाया जाएगा.

(6) **कार्यकारिणी :**

समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन कंडिका 5.2 में दर्शाई प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :—

6.1 वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी के भी पदेन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे.

6.2 कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्रामसभा में यथासंभव उनकी जनसंख्या के अनुपात में चयन किया जावेगा.

6.3 कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हों तो, की एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.4 भूमिहीन परिवार, यदि उपलब्ध है तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरुष एवं एक महिला) होंगे जिनमें ग्राम में कार्यरत स्व-सहायता समूह, यदि कोई हों तो, के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.5 ग्राम में रहने वाले सभी पंच अथवा सरपंच तथा ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे.

6.6 यदि ग्राम में राजीव गांधी मिशन की जल ग्रहण विकास समिति कार्यरत है तो इस समिति के विभिन्न हितग्राही समूहों में से एक-एक हित ग्राही कार्यकारिणी का सदस्य होगा.

6.7 कार्यकारिणी के शेष सदस्यों हेतु ग्राम में निर्मित ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों, यदि कोई हो तो, के एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.8 कार्यकारिणी के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित वन क्षेत्र का प्रभारी वनरक्षक अथवा वनपाल कार्यकारिणी का पदेन सचिव होगा.

6.9 समिति के ऐसे सदस्य को, जिसकी वन एवं पर्यावरण संरक्षण में रूचि हो व शैक्षणिक योग्यता यथासंभव आठवीं उत्तीर्ण हो, को कार्यकारिणी का सहायक सचिव बनाया जायेगा. इस हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी.

6.10 सहायक सचिव, प्रारंभ के दो वर्षों तक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सचिव के साथ कार्य कर कार्य में निपुणता प्राप्त करेगा व तदुपरान्त सदस्य सचिव के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेगा. सहायक सचिव द्वारा सचिव का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित वनक्षेत्र का प्रभारी, वनरक्षक अथवा वनपाल तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में समिति की कार्यकारिणी का पदेन सदस्य रहेगा.

6.11 पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा.

(7) **क्षेत्र चयन :**

7.1 समिति के गठन के उपरान्त कार्यकारिणी की सलाह से संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जाएगा. इस हेतु वनक्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर के अधिकारी को उपरोक्त संबंधित वन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा. समिति हेतु वनक्षेत्र का चयन करते समय संबंधित ग्राम से उस वनक्षेत्र की दूरी तथा ग्रामीणों द्वारा निस्तार हेतु पारंपरिक रूप से उपयोग में लिए जा रहे वनक्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा. उक्त क्षेत्र की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता पर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्र का चयन किया जाएगा. क्षेत्र चयन में किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी)/संचालक राष्ट्रीय उद्यान का निर्णय अंतिम होगा.

7.2 संरक्षित क्षेत्र के अंदर गठित ईको विकास समितियों हेतु वन क्षेत्र चयन नहीं किया जावेगा. संरक्षित क्षेत्र के बाहर के ग्रामों, जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है, के लिये ही कण्डिका 7.1 के आधार पर संरक्षित क्षेत्र से बाहर का वन क्षेत्र प्रबंधन हेतु ईको विकास समिति को दिया जा सकेगा.

(8) **सूक्ष्म प्रबंध योजना (Micro Plan) :**

8.1 समिति के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र वन विभाग की सहभागिता से ग्रामीणों द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जाएगी. इस योजना में ग्राम का क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाएगा. योजना में वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित होंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना में संसाधनों की संभावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलत किये जाएंगे. शेष कार्यों को पृथक्

परिशिष्ट में प्राथमिकता के अनुसार दर्शाया जाएगा. कार्यों के समक्ष क्रियान्वयन की एजेंसी एवं संसाधन के संभावित स्त्रोत भी दर्शाए जाएंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना को समिति संबंधित जिला स्तरीय वन अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना का विचारोपरांत तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण के उपरांत अनुमोदन किया जाएगा.

8.2 वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं. समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

8.3 उक्त सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शसन द्वारा की जाएगी. इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते हैं, तथा वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध से जुड़े हों, उनके लिए भी राशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग तथा समिति द्वारा शासकीय राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों तथा अन्य स्रोतों से की जाएगी. इन कार्यों के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में इसका 25 प्रतिशत तक यथासंभव योगदान आवश्यक होगा. योगदान के समतुल्य राशि कार्य के मूल प्रावधान से समिति के खाते में जमा की जाएगी, जिससे समिति द्वारा ग्रामीण संसाधन विकास के कार्य कराए जा सकेंगे.

8.4 वन विभाग एवं समिति द्वारा अन्य विकास विभागों के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेंगी. ग्राम संसाधन विकास कार्य हेतु जो कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित किये जाएंगे उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य के अन्य विकास विभागों से तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकेंगे.

8.5 आर्थिक विकास के ऐसे कार्य जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त तथा संवहनीय हों, उन्हें सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा.

8.6 सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले ग्राम विकास कार्यों में समन्वय के लिए जिला पंचायत की वन स्थाई समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार समन्वय हेतु बैठक आयोजित करेगी, जिसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे. वन संरक्षक द्वारा नामांकित एक जिला स्तरीय वनाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

(9) बैठकें :

अध्यक्ष की अनुमति से पदेन सचिव द्वारा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी. तीन माह में न्यूनतम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगा. सामान्यत: समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सदस्य आम सहमति से किसी अन्य सदस्य को बैठक हेतु अध्यक्ष चुन सकेंगे. आमसभा की बैठक प्रत्येक छ: माह में न्यूनतम एक बार बुलाई जाएगी. बैठक का समय व स्थान अध्यक्ष के परामर्श से तय किया जाएगा. बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव द्वारा इस हेतु संधारित पंजी में रखा जाएगा. कार्यकारिणी की समयावधि समाप्ति वर्ष में समिति की अंतिम बैठक में कंडिका 5.2 में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार आगामी कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा, यह बैठक कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति के एक माह पूर्व बुलाना अनिवार्य होगा.

(10) गणपूर्ति (कोरम) :

कार्यकारिणी हेतु 50 प्रतिशत सदस्य तथा आमसभा हेतु 30 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी.

(11) समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

11.1 अधिकार :

जिला स्तरीय वनाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :—

1. सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी.

2. सभी वन समितियों को समय-समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिर्रा सफाई से प्राप्त शत-प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए दिया जा सकेगा.

3. वन सुरक्षा समिति को आवंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप काष्ठ कूप के अंतिम पातन से प्राप्त वन उत्पाद के 10 प्रतिशत एवं बांस कूप के पातन से प्राप्त वन उत्पाद का 20 प्रतिशत मूल्य, अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर समिति को प्रदाय किया जायेगा. मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी.

4. ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले उत्पाद का शत-प्रतिशत मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर, समिति को प्रदान किया जायगा. मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी.

5. जो ईको विकास समितियां संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, वहां कटाई पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसी समितियों को भी वनोपज का मूल्य दिया जाये. इस वनोपज का मूल्य संबंधित संरक्षित क्षेत्र से लगे क्षेत्र में कार्यरत वन सुरक्षा समिति को मिलने वाली वनोपज के समान ही होगा. उपरोक्त व्यवस्था इन ग्रामों को प्रतिवर्ष मिलने वाली निस्तार सुविधा के अतिरिक्त होगी. संरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित ग्रामों में कार्यरत ईको विकास समितियों को उसे आवंटित वनक्षेत्र के घनत्व के आधार पर ऊपर दर्शाये अनुसार लाभ प्राप्त होगा.

प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50% भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30% भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20% भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा.

6. लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे.

7. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, जो कि ग्राम विकास पर ही व्यय की जायेगी.

8. यदि समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के कार्यों में असहयोग किया जाता है, समिति के निर्णयों का पालन नहीं किया जाता है या वन अपराध किया जाता है, तब समिति आमसभा में निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति को निस्तार की पात्रता से वंचित रखते हुये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा. वन अपराध हेतु की गई कार्यवाही उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त होगी.

9. समिति अपने समस्त अथवा विशिष्ट अधिकारों को आमसभा की बैठक में निर्णय लेकर कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित कर सकेगी.

11.2 कर्तव्य :

1. समिति के सदस्यों द्वारा वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से बचाव किया जाएगा तथा वन विभाग को इसमें सहयोग किया जाएगा. इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति अपने सदस्यों की सहायता से वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगी.

2. वनों एवं वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा वनक्षेत्र में अवैध प्रवेश/अवैधानिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सूचना वन विभाग को दी जाएगी.

3. यदि वन्य प्राणी वनों से भटक कर बाहर आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये निकटस्थ वन अधिकारी को सूचना दी जाएगी.

4. समिति द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी. योजना में सामुदायिक, हितग्राहीमूलक, आवश्यकता पर आधारित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा. वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जायेगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समिति की ओर से कार्यकारिणी के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होंगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना बनायी जायेगी. वार्षिक कार्य आयोजना के क्रियान्वयन हेतु समिति को एक बार में दस प्रतिशत तक राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की जा सकेगी. स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा. यदि कोई समिति कार्यों का सम्पादन संतोषजनक रूप से नहीं करती है अथवा कार्य करने की इच्छुक नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में कार्य विभागीय तौर पर क्रियान्वित किया जायेगा.

5. समिति के सदस्यों को उनके क्षेत्र या अन्य वन क्षेत्र में वन अपराध होने की सूचना होने पर उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना संबंधित बीट गार्ड/गेम गार्ड को दी जाएगी,

साथ ही वन अपराधियों को पकड़ने में वन कर्मियों की मदद की जाएगी. पकड़े गये अपराधी तथा वनोपज संबंधित वन अधिकारी को सौंपे जाएंगे.

6. समिति के अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य "मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग" हस्ताक्षर किया जाएगा.

7. संकल्प के पैरा 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में यथा संभव योगदान सुनिश्चित किया जायेगा.

8. वन अपराध की जांच में समिति के सदस्यों द्वार वन विभाग के अमले को सहायता दी जाएगी.

9. समिति को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा रखा जाएगा व व्यय का आडिट वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराया जाएगा.

10. समिति द्वारा सदस्यों की सूची एक पंजी में संधारित की जायेगी. इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी पंजी एवं अभिलेख रखे जायेंगे जो वनाधिकारी द्वारा निर्धारित किये जायें.

11. वन सुरक्षा के संदर्भ में वन समिति सदस्यों को उनके क्षेत्र में वन गश्त के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वन कर्मियों की भांति ही लोक सेवक माना जायेगा तथा उन्हें लोक सेवक की भांति शासकीय हित में सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के लिए वैधानिक संरक्षण उपलब्ध होगा. इसी प्रकार यदि वन अपराध की रोकथाम या संज्ञान के दौरान समिति सदस्य घायल होता है या मारा जाता है तो उसे वनकर्मी के अनुरूप समस्त लाभ प्राप्त होंगे.

12. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में वन अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित होने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जायेगी.

(12) वनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :

जिला स्तरीय वन अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नानुसार रहेंगे. यदि इस संकल्प में अन्यथा उल्लेख न हो तो वे उक्त अधिकारों को वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

12.1 **अधिकार :**

1. समितियों हेतु कंडिका 7.1 के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण.

2. सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन.

3. समिति का लेखा एवं सदस्यों के मध्य वनोपज एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाये गये नियमों का परीक्षण.

4. यदि समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन पैरा 11.2 के अनसुार नहीं किया जाता है तथा वनाधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी के उपरांत भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग को

समाप्त किया जा सकेगा. ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को पैरा 11.1 में दर्शाये लाभों की पात्रता समाप्त हो जायेगी.

12.2 कर्तव्य :

1. कंडिका 5.1 के अनुसार समिति के गठन हेतु ग्रामस्तर पर बैठक का आयोजन.

2. समिति का पंजीयन.

3. समिति एवं कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण.

4. समिति के सदस्यों को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना.

5. कंडिका 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना एवं कंडिका 8.4 में दर्शाये कार्यों हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना.

6. समिति को उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेद समाधान में सहयोग करना.

7. समिति द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन.

8. समिति के वार्षिक लेखों का परीक्षण करने हेतु एजेंसी का निर्धारण एवं उसके माध्यम से लेखा परीक्षण कराना.

9. कंडिका 11.1 की उपकंडिका 1 से 3 के अनसुार समिति को आवंटित क्षेत्रों से वनोपज एवं अन्य लाभ का प्रदाय.

10. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषतौर पर महिलाओं की, समिति के निर्णयों एवं लाभांश में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना.

(13) अपील :

1. कंडिका 11.1 की उप कंडिका 8 में पारित आदेश के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति, आदेश की तिथि से एक माह के अंदर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी को अपील कर सकेगा.

2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर कंडिका 5.4 में गठित संघ को अपील की जा सकेगी.

3. उपरोक्त अपीलीय अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मेन्द्र शुक्ला, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

(10)

Government of Madhya Pradesh, Forest Department
Mantralya
Vallabh Bhawan, Bhopal 462 004.

No.F16/4/91/10-2 .Bhopal, dated 22nd October, 2001.

Resolution

Amended resolution to seek cooperation of people in protection & development of forests

The National Forest Policy, 1988 envisages co-operation of the local people in conservation and development of forests. Accordingly, Ministry of Environment and Forests, Government of India issued instructions to all States on 1st June, 1990 that the tribals and other villagers living in and around forests will have the first right on the forest produce. In pursuance of this principle. co-operation of the local people is being sought through the process of Joint Forest Management.

2. In view of the aforesaid principle, the State Government passed a resolution on 10th December 1991 to obtain people's cooperation in forest protection in sensitive areas. A detailed procedure for this purpose was also narrated in the resolution. In order to provide it a broad base and with the objective of obtaining people's co-operation in all forest areas, the State Government issued an amended resolution on 4.1.95. Superseding this resolution another resolution was passed vide notification no. F-16/4/91/10-2, dt. 7th February, 2000 in which provision was made for Forest Protection Committees for dense forest areas, Village Forest Committees for degraded forest areas and Ecodevelopment Committees for the villages inside and within 5 km. from the boundaries of National Parks and Sanctuaries to ensure the protection and conservation of wild life. Some practical difficulties were experienced in the resolution of 7th Feb. 2000. Hence superseding the resolution of 7th Feb. 2000 the State Govt. passes the following resolution:--

3. According to the current practices of forest management in the State, the forest areas of the State are divided into three parts (zones)-

- First Zone : Forest areas included in the National Parks and Sanctuaries. These areas are extremely important from the viewpoint of biodiversity conservation.
- Second Zone : Other dense forest areas, from where forest produce is exploited through regular forestry works.
- Third Zone : Those forest areas, which have become open due to biotic pressure, and need reforestation/restoration.

4. Committees :

4.1 Eco-development committees shall be constituted, for securing the cooperation of the people in the management of forests, in all the villages situated inside the National Parks and sanctuaries, and in such villages outside and within five kilometers form the boundaries of protected areas which influence their management and in the villages within a notified

buffer zone. Joint forest management committees already constituted in these areas will also be known as eco-development committees.

4.2 Forest Protection Committees shall be constituted in villages situated within five kilometers from the forest block boundaries in dense forests, except those covered under para 4.1

4.3 Village Forest committees shall be constituted in villages situated within five kilometers from the forest block boundaries of degraded forests, except those covered under para 4.1 and 4.2.

5. Procedure for constituting committees :

5.1 Meetings will be organized in the villages of the State, by the local forest staff, to apprise the people about joint forest management, and thereafter, if the villagers voluntarily want to get involved in forest protection, development and management of forests, then on getting such information a forest committee, for a term of five years from the date of registration, will be formed by convening a meeting of the Gram Sabha under section 6 of the Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 and according to the procedure laid down in Madhya Pradesh Gram Sabha(Procedure of Meeting) Rules, 2001. The type of the committee will be according to the zone in which the village is situated. In case both dense and degraded forests are situated near the village, then according to the predominance of the kind of forest area, the forest protection committee or the village forest committee shall be formed. The period of the already existing committees and their executive, after their approval by the Gram Sabha will be 5 years from their date of renewal of registration.

Explanation :

1. If a committee 'A' was formed on 1.7.94, then at present more than 5 years have elapsed, hence the Gram Sabha will approve the formation of the committee. Also the constitution of the new executive body will be taken up immediately.
2. If a committee 'B' was formed on 1.10.99, the Gram Sabha will approve the formation of the committee while the present executive body will continue in office till 30.9.2004.

5.2 For the purpose of the constitution of committees, the habitations or groups of habitations or small villages or their groups, which include such communities which have been managing their affairs traditionally as a village, shall be treated as a village, in accordance with section 4 (B) of the Panchayat (Extension to Schedule Areas) Act, 1996, irrespective of the fact whether that village is situated in a scheduled area (Schedule to the Constitution of India) or outside it. The committee shall be registered by the concerned Divisional Forest Officer (territorial)/ Divisional Forest Officer (Wildlife)/ Director, National Park within one month of formation of the committee, in accordance with para 4 of this resolution. All the villagers, who are eligible to vote, shall be the members of the general body of the committee. In the first meeting of the committee, which shall be held in accordance with the procedure laid down in MP Gram Sabha(Procedure of Meeting) Rules 2001, election of the chairperson, vice-chairperson and the executive body will be held, whose term in office will be 5 years. Either of the chairperson or the vice-chairperson will necessarily be a woman.

5.3 A federation of the chairpersons of the committees shall be constituted at the Forest Division level.

6. Executive :

Executive Committee consisting of minimum 11 and maximum 21 members (excluding the ex-officio members) shall be constituted as per the following procedure:-

6.1 The Chairperson/Vice-Chairperson of the forest committee will also be ex-officio Chairperson/Vice-Chairperson of the Executive Committee.

6.2 The Executive Committee shall include members from scheduled castes, schedule tribes and backward classes in proportion to their population in the Gram Sabha of the village, as far as possible.

6.3 Minimum 33 per cent members of the Executive Committee will be women, in which one representative from each women Self Help Group, if working in the village, will be compulsorily elected.

6.4 Minimum of 2 members (1 male and 1 female) from landless families, if available will be included in the Executive Committee, out of which, one representative should compulsorily be elected from the Self Help Group, if working in the village.

6.5 All Panch/Sarpanch residing in the village and the chairperson of the Village Development Committee of the Gram Sabha will be ex-officio members of the executive committee.

6.6 If Rajiv Gandhi Watershed Mission Committee is working in the village, then one beneficiary from each beneficiary group will be member of the executive committee.

6.7 For rest of the members of the Executive Committee, it will be essential to nominate one representative from each of the user groups of village resources created in the village, if available.

6.8 Besides the above members, the Beat Guard or Forester in-charge of the concerned forest area will be ex-officio Secretary of the Executive Committee.

6.9 A member of the committee, who has interest in forest and environment conservation and is preferably 8^{th} standard pass, will be made the Assistant Secretary of the executive committee. For this a person belonging to scheduled caste/scheduled tribe and having interest in forest and environment conservation will be preferred.

6.10 The Assistant Secretary, as a member of the executive committee will gain proficiency in work while working with the Secretary for initial two years, and thereafter take over the responsibility of the member secretary. After the Assistant Secretary takes over as the Secretary, the in charge forest guard or forester of the concerned forest area will continue being a member of the executive committee as a technical specialist.

6.11 Except the ex-officio members, the term of the other members of the Executive Committee will be 5 years.

7. Selection of area:

7.1 After the constitution of the committee, forest area for different kinds of committees will be selected by the Divisional Forest Officer (territorial)/Divisional Forest Officer (wildlife) / Director, National Park in consultation with the executive committee. An officer, not below the rank of a range officer, can be authorized by the above mentioned forest officer for this purpose. For the selection of forest area for the committee, consideration will be given to the distance between the forest and the village and the area traditionally used by the villagers for Nistar purposes. The area will be selected on the basis of the recommendation of an officer of the rank of Assistant Conservator of forests regarding its technical suitability. In case of a difference of opinion related to the selection of the area, the decision of the

concerned Divisional Forest Officer (territorial) / Divisional Forest Officer (wildlife) / Director, National Park shall be final.

7.2 No forest area shall be selected for the eco-development committees constituted inside the protected areas. Only for the eco-development committees constituted in the villages situated outside the protected areas, which influence the management of the protected area, forest area outside the protected area can be selected under provision of para 7.1.

8. **Microplan :**

8.1 After the constitution of the committee, as soon as possible, a microplan shall be prepared by the villagers, with the participation of the forest department. The microplan shall cover both the area of the village as well as the forest area selected for the committee. The microplan shall include provisions for both forest management as well as village resource development programme. The mircroplan shall propose works/activities on the basis of the expected availability of resources. Other works shall be included in a separate annexure, on the basis of priority. The name of the executing agency and the possible source of funding shall also be shown with the works. The microplan shall be submitted to the district level forest officer by the committee for approval. The microplan shall be approved after examining its technical and legal aspects.

8.2 The principles of forest/wildlife management are prescribed in the existing working plan/management plan. The works proposed in the area selected for the committee shall be in accordance with these principles. The microplan shall ensure that the laws/rules applicable to forest/wildlife management are not violated.

8.3 The State Government shall arrange for the funds required for executing the forest works included in the plan. In addition, the committee and the Forest Department shall also arrange for funds for works, which can reduce the dependence of the villagers on forests, through DRDA, other govt. departments, Panchayats and other sources. For the execution of these works, a contribution of 25% from the committee members, in the form of labour, shall be necessary, as far as possible. An amount equivalent to the labour contributed shall be remitted in the account of the committee for use in the village resource development works.

8.4 The microplan shall be prepared by the Forest Department and the committee, in collaboration with other development departments. Technical and financial resources, for the execution of the village development works included in the microplan, can be obtained from other development departments of the State.

8.5 The economic development activities, which are ecologically sound and sustainable, shall be included in the microplan on priority basis.

8.6 For the co-ordination of the activities to be executed through the microplan, in each district, a co-ordination committee, under the Chairpersonship of the chairperson of the forest standing committee of the district Panchayat, shall be constituted by the State government. This committee will convene a meeting at least once in four months for affecting co-ordination. The Janpad Panchayat Chairperson and the district level officers of all the concerned departments shall be the members of this committee. One district level forest officer, nominated by the Conservator of Forests, shall be the member secretary of the committee.

9. **Meetings :**

A meeting of the executive committee will be convened by the Secretary with the consent of the Chairperson. It will be compulsory to convene at least one meeting in three months. Normally the meetings will be presided over by the Chair person/Vice-Chairperson, but in his / her absence members may choose one of the members as Chairperson for the meeting. The General Body meeting will be convened at least once in six months. The time and place of the meeting will be decided in consultation with the Chairperson. The proceedings of the meeting will be recorded in a register maintained for this purpose. The forthcoming executive body will be elected in the last meeting of the General Body convened according to the procedure mentioned in para 5.2 in the expiry year of the term of the executive body. It will be compulsory to convene this meeting one month before the expiry of the term of the executive body.

10. Quorum:

For the executive body, 50% of the members and for the General Body, 30% members will be essential for quorum.

11. Rights and Duties of the Committee:

11.1 Rights-

The Committees will derive following benefits subject to the satisfaction of the District level Forest Officer that the committee has satisfactorily performed the works pertaining to Joint Forest Management.

1. All families of the committee would be entitled to royalty free Nistar, every year, subject to availability, after deduction of harvesting costs.
2. All forest committees would be given from time to time cent per cent share of the produce obtained from the thinning of timber coupes and clearing of clumps in degraded bamboo forests executed on the basis of provisions of the Microplan/ Working Plan.
3. In the forest area allotted to the Forest Protection Committee and worked according to the prescriptions of the Working Plan, 10% of the value of forest produce obtained from final felling of timber coupes and 20% of the value of forest produce obtained from the final felling of bamboo coupes, after deducting the corresponding harvesting costs, would be made available to the committee. Calculation of the value would be made on the basis of the weighted average of the sale price of the timber/bamboo obtained in the concerned sale depot during the calendar year.
4. In the open/degraded forest area allotted to the Village Forest Committee, 100% of the value of forest produce obtained from the plantation/rehabilitation of degraded forests/pasture development works done in the area/final felling of the planted area, after deducting the corresponding harvesting costs, would be made available to the committee. Calculation of the value would be made on the basis of the weighted average of the sale price of the timber/bamboo obtained in the concerned sale depot during the calendar year.
5. For Eco-Development Committees which are situated within the Protected areas, where felling is banned, value of the forest produce will be given to such committees. The value of the produce would be equivalent to the value of the produce made available to the Forest Protection Committee working in the area adjoining to the concerned Protected Area. This arrangement would be in addition to the annual Nistar facilities received by the Committees. The Eco-development Committees situated outside the Protected Areas will derive benefits as mentioned above depending upon the density of the forests allotted to them. Out of the

amount received by the committee from the final feeling, 50% would be distributed to the members of the committee in cash, 30% would be spent for village resource development and 20% would be spent on forest development.

6. Rights of the committee with regard to minor forest produce would be in accordance with the decisions of the government of Madhya Pradesh taken from time to time under the provisions of the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996.

7. In case a committee co-operates in the apprehension of an offender in forest offence case registered in the area of the committee, fifty percent of the amount of the compensation / fine recovered from offenders, after compounding of the case or after a decision by the court, shall be deposited in the account of the committee, which will be used for the development of the village resources.

8. If a member of the committee does not co-operate in the activities of the committee, does not abide by the decisions of the committee or commits a forest offence, the committee, through a decision in the general body meeting, may deprive him/her of his/her eligibility for obtaining Nistar and may terminate his/her membership. But before taking this action, the member will be given an opportunity to present his/her case. The action taken in connection with the forest offence will be in addition to this action.

9. The committee shall be able to transfer all or some of its powers to the executive through a resolution in the general body meeting.

11.2 **Duties –**

1. The committee members shall protect forests from fire, illegal grazing, illicit felling, illegal transportation, illegal mining, encroachments and poaching and render all such co-operation to the Forest Department. To achieve this objective the committee, with the help of its members, will take necessary steps for the protection of forests.

2. Information regarding person/persons causing damage to forests and wildlife or indulging in illegal entry/unauthorized activities in the forest, will be given to the Forest Department.

3. If any wildlife accidentally strays out of the forest area then ensuring its protection, information will be given to the nearest forest officer.

4. The committee will prepare a Microplan and Annual Work Plan in participation with the Forest Department. The plans will incorporate community, beneficiary oriented, necessity based and site specific programs. Activities directly or indirectly related to forest and wildlife protection will be given priority. Microplan will be signed by the Forest Range Officer on behalf of the Forest Department and Chairperson of the executive committee on behalf of the committee. Based on Microplan an Annual Work Plan will be prepared for every financial year. For the implementation of the Annual Work Plan an advance upto 10 per cent of the amount can be given at a time to the committee. Implementation of sanctioned plans will be done by the committee. If any committee is not performing the work satisfactorily or not interested in carrying out the works then in such case the work will be carried out by the department.

5. The committee members, on being informed of any forest offence within their area or outside their forest area shall report immediately the same to the concerned Beat Guard/Game Guard. At the same time, the committee members shall also assist the Forest Department in apprehending the culprits involved in forest offence. The apprehended culprits and seized forest produce will be handed over to the concerned forest officer.

6. The Memorandum of Understanding will be signed between the Chairperson of the Committee and District level forest officer or an officer authorized by him/her.
7. As per para 8.3 of the Resolution, the contribution of the committee members in form of labour component will be ensured as far as possible in the implementation of the microplan.
8. During inquiry of forest offences the committee members will assist the staff of the forest department.
9. The Committee would maintain account of funds received from various sources and the expenditure would be audited by an agency appointed by the Forest Officer.
10. A list of its members would be maintained in a register by the Committee. Apart from this the Committee would maintain other registers and records specified by the Forest Officer.
11. In the context of forest protection, the members of the Committee would be treated as public servants similar to forest staff under different Acts during patrolling of forests, and they will be provided legal protection accordingly for actions taken in good faith in the interest of the Government. In the event of injury or death, during efforts made to stop or prevent forest offences, compensation similar to that given to forest staff would be provided.
12. An amount equivalent to 50% of the compounding amount or compensation/fine decided by the Court recovered from the offender would be deposited in the committee's account if the committee takes cognizance of any forest offence within its area and helps in apprehending the forest offender.

12. Powers and Duties of Forest Officer :

The powers and duties of the District level Forest Officer would be as under. If nothing is otherwise specified in this resolution the said officer can delegate these powers to an officer not below the rank of a Range Officer.

12.1 Powers –

1. Allotment of area for the committees as per provision under para 7.1
2. Approval of the Microplan.
3. Scrutiny of committee's accounts and rules made for distribution of forest produce and sharing of benefits among members.
4. If the committee does not discharge its duty envisaged under para 11.2 and corrective measures are not taken even after written communication by the Forest Officer to the committee, the Forest Officer may dissolve the committee and terminate the Memorandum of Understanding. In this situation the entitlement of members of the committee to receive benefits provided in para 11.1 would cease.

12.2 Duties-

1. Organize meeting at village level for the constitution of the committee as per para 5.1.
2. Registration of the committee.
3. Observe election of committee and Executive Committee.
4. Provide training and technical help to the committee members in preparation and implementation of the Microplan.
5. Provide financial resources according to para 8.3 for works included in the Microplan and establish co-ordination with other departments for works mentioned in para 8.4.
6. Assist committee in discharging its duties and in monitoring, and helping them in resolving internal disputes.
7. Monitoring and evaluation of works executed by the committee.

8. Appoint agency for the annual audit of committee's account and getting accounts audited through them.
9. Provide forest produce and other benefits from the area allotted to committee as per the provisions of sub para 1 to 3 of para 11.1.
10. Ensure appropriate participation of weaker sections of the committee especially women in committee's decisions and benefit sharing.

13. Appeal :

1. Any person aggrieved by an order passed under sup para 8 of para 11.1 may file an appeal against such order to the concerned Range Officer within one month from the date of the order.
2. An appeal against the order of the forest officer to dissolve a committee may be made within a month from the date of the order to the federation constituted under para 5.3.
3. The decision of the above appellate officers would be final.

In the name and by order of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/-
(Dharmendra Shukla)
Government of Madhya Pradesh
Forest Department.